

# Order Sheet [Contd]

Case No 06/2015 अ0फौ0

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
22-06-17	<p>अपीलार्थीगण/आरोपीगण बीरेन्द्र व रविन्द्र सहित एवं अम्बरीश की ओर से श्री आर.एस. कुशवाह अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर।</p> <p>अनुपस्थित अपीलार्थी अम्बरीश की ओर से आज का हाजारी मॉफी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 317 जा0फौ0 उनके अभिभाषक श्री आर.एस.कुशवाह द्वारा पेश जो बाद विचार स्वीकार किया गया।</p> <p>आहत रिकू उर्फ कुलभूषण उपस्थित जिसने एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 320(2) जा0फौ0 का राजीनामा करने की अनुमति देने के संबंध में प्रस्तुत किया। साथ ही आरोपीगण एवं आहत रिकू उर्फ कुलभूषण की ओर से आपसी राजीनामा प्रस्तुत किया है। उक्त दोनों आवेदनपत्र दिनांक 19.06.2017 को प्रस्तुत किए गए थे। उपस्थित आहत रिकू उर्फ कुलभूषण की पहचान अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा की गई। उपस्थित आहत रिकू उर्फ कुलभूषण का राजीनामा के संबंध में कथन अंकित किए गए।</p> <p>विचारण न्यायालय ने आरोपी/अपीलार्थी बीरेन्द्र कुमार, रविन्द्र एवं अम्बरीश को भा.द.वि की धारा 323 सहपठित धारा 34 एवं 325 सहपठित धारा 34 में दंडित कर दोषसिद्ध किया है। उक्त दोनों ही धाराएं द0प्र0सं0 की धारा 320 के अनुसार राजीनामा योग्य है।</p> <p>आहत बृजमोहन शर्मा, भगवानदेवी एवं रिकू उर्फ कुलभूषण ने राजीनामा स्वेच्छया कर किसी दबाव में न करना व्यक्त किया है। साथ ही अपने कथनों में यह भी व्यक्त किया है कि आरोपीगण उनके परिवार के होकर चचेरे भाई लगते हैं, उनके बीच अब संबंध मधुर हो गए हैं।</p> <p>अतः प्रकरण की परिस्थिति एवं राजीनामा कथनों को दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्ष को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।</p> <p>उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य दण्डादेश अपास्त किया जाता है। आरोपी/अपीलार्थीगण बीरेन्द्र, रविन्द्र व अम्बरीश को भा.द.वि की धारा 323/34, 325/34 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।</p> <p>यदि आरोपी/अपीलार्थीगण ने कोई अर्थदण्ड जमा किया हो तो वह उसे बापस प्राप्त करने के अधिकारी है।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख बापस किया जावे।</p> <p style="text-align: right;">(बीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद</p>	